राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः— 16 / 2024

अपील संख्या :—308 / 2024

ममता चौहान

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकोनर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से यह रिव्यू याचिका अपील संख्या 308 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 (अनुलग्नक—1) के सिलसिले में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि मूल अपील संख्या 308 / 2024 में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की थी कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाये कि अपीलार्थी को 60 दिवस का असाधारण अवकाश एवं 120 दिवस का चाईल्ड केयर लिव की स्वीकृति प्रदान की जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.05.2024 में 60 दिवस के असाधारण अवकाश के बारे में कोई विवेचना नहीं की गई है। निर्णय केवल 120 दिवस के चाईल्ड केयर लिव के संबंध में पारित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया दूसरा अनुतोष जो 60 दिवस के असाधारण अवकाश के संबंध में था, उस संबंध में निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की रिव्यू याचिका स्वीकार कर अपीलार्थी को 60 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान करवायी जाये।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों से सहमत है क्योंकि अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.05.2024

के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त निर्णय केवलमात्र 120 दिवस के चाईल्ड केयर लिव के संबंध में पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जो दूसरा अनुतोष 60 दिवस के असाधारण अवकाश के संबंध में चाहा गया है, उसकी विवेचना उक्त निर्णय में कहीं नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के 60 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति का मामला वर्ष 2021 से लम्बित है।

3. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की यह रिव्यू याचिका स्वीकार की जाती है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी को 60 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के 60 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय नियमानुसार पारित करें।

4. इस आदेश की पालना 1 माह में सुनिश्चित की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)